भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2666
बुधवार, दिनांक 11 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>पवन ऊर्जा क्षेत्र में पिछड़ना</u>

2666. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डीः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के मामले में सौर ऊर्जा की तुलना में पवन ऊर्जा के पिछड़ने के क्या कारण हैं;

(ख) पवन ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने नई परियोजनाओं की स्थापना के संदर्भ में फीड-इन टैरिफ तंत्र (उत्पादकों के लिए बाजार मूल्य से अधिक की गारंटी) के बदले प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से टैरिफ निर्धारण के तरीके के प्रभाव का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अध्ययन कराने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) और (ख): पवन ऊर्जा सामर्थ्य मुख्यतः आठ राज्यों में केन्द्रित है, जबकि सौर ऊर्जा सामर्थ्य लगभग देश भर में फैला हुआ है। सरकार वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता की देश की प्रतिबद्धता को प्राप्त करने के लिए, पवन और सौर ऊर्जा सहित, सभी अक्षय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दे रही है और देश में, पवन ऊर्जा सहित, अक्षय ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा और गति प्रदान करने के लिए विभिन्न उपाय और पहल की हैं, जो अनुलग्नक में दी गई हैं।

(ग) मंत्रालय द्वारा गठित समिति ने मई 2022 में "अनलॉकिंग ऑफ अनटैप्ड विंड पोटेंशियल युनिफॉर्मली अक्रॉस ऑल विंडी स्टेट्स" शीर्षक के अंतर्गत अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में अन्य के साथ टैरिफ निर्धारण के लिए फीड-इन टैरिफ और ई-रिवर्स नीलामी प्रक्रियाओं के तुलनात्मक विश्लेषण हैं, जो दर्शाता है कि ई-रिवर्स नीलामी तंत्र, फीड-इन टैरिफ तंत्र की तुलना में बेहद प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी, सरल, कार्यान्वयन में आसान और कम कीमतें हैं।

(घ) और (ङ): सरकार ने यूरोपीय संघ के सहयोग से मार्च, 2018 में गुजरात और तमिलनाडु के अपतट पर अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यहार्यता अध्ययन किए हैं। इन रिपोर्टों का उद्देश्य गुजरात और तमिलनाडु के अपतट पर प्रदर्शन परियोजना के लिए संकल्पना डिजाइन प्रदान करना था।

अनुलग्नक

'पवन ऊर्जा क्षेत्र में पिछड़ना' के संबंध में पूछे गए दिनांक 11.12.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2666 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता की प्रतिबद्धता को साकार करने के लिए देश में अक्षय ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा और गति देने के लिए विभिन्न उपाय और पहल की हैं। इनमें अन्य के साथ निम्नलिखित शामिल हैः

- वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक अक्षय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों [आरईआईएः सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सेकी), नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (एनटीपीसी), नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (एनएचपीसी), सतलुज जल विद्युत निगम (एसजेवीएन)] द्वारा जारी की जाने वाली 50 गीगावाट/वर्ष की अक्षय ऊर्जा विद्युत बोलियों के लिए ट्रैजेक्ट्री जारी की जाएगी।
- ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।
- सौर और पवन विद्युत की इंटर-स्टेट बिक्री के लिए 30 जून, 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं हेतु दिसम्बर, 2030 तक और अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए दिसम्बर, 2032 तक इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों को माफ कर दिया गया है।
- अक्षय ऊर्जा खपत को बढ़ावा देने के लिए, अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) के बाद अक्षय उपभोग बाध्यता (आरसीओ) ट्रजेक्ट्री को वर्ष 2029-30 तक के लिए अधिसूचित किया गया है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत सभी नामित उपभोक्ताओं पर लागू आरसीओ की अनुपालना न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। आरसीओ में विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा स्रोतों से खपत की निर्दिष्ट मात्रा भी शामिल है।
- ग्रिड कनेक्टेड सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड और सतत एवं प्रेषण योग्य अक्षय ऊर्जा (एफडीआरई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं।
- अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्कों की स्थापना के लिए, अक्षय ऊर्जा डेवलपरों को बड़े स्तर पर अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमि एवं ट्रांसमिशन उपलब्ध कराने के लिए योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- अक्षय विद्युत की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के अंतर्गत नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने और नई सब-स्टेशन क्षमता विकसित करने हेतु वित्तपोषण किया गया है।
- पांच सौ किलोवाट तक अथवा स्वीकृत विद्युत लोड तक, जो भी कम हो, नेट-मीटरिंग के लिए विद्युत (उपभोक्ता के अधिकार) नियम, 2020 जारी किए गए हैं।
- समान अक्षय ऊर्जा टैरिफ (यूआरईटी) की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से आवंटित समान प्रकार की व्यक्तिगत आरई परियोजनाओं के टैरिफ का औसत निकालकर उपभोक्ताओं को एक समान टैरिफ उपलब्ध कराया जाएगा। दिनांक 15 फरवरी,

2024 से "सौर विद्युत सेंट्रल पूल" और "सौर-पवन हाइब्रिड सेंट्रल पूल" के लिए यूआरईटी के कार्यान्वयन को अधिसूचित किया गया है।

- सौर फोटोवोल्टेक मॉड्यूलों और ग्रिड कनेक्टेड सौर इनवर्टरों के लिए मानक और लेबलिंग (एस एंड एल) कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
- तीव्र अक्षय ऊर्जा ट्रैजेक्ट्री के लिए आवश्यक ट्रांसमिशन अवसंरचना को बढ़ाने के लिए वर्ष 2030 तक की ट्रांसमिशन योजना तैयार की गई है।
- "विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम (एलपीएस नियम)" की अधिसूचना जारी की गई है।
- सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद और सतत हरित ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 06 जून, 2022 को विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा) नियम, 2022 अधिसूचित किए गए हैं। वितरण लाइसेंसधारी को उसी विद्युत प्रभाग में स्थित कुल सौ किलोवाट या इससे अधिक के एकल या बहु एकल कनेक्शन के माध्यम से 100 किलोवाट या इससे अधिक की संविदा मांग के साथ किसी भी उपभोक्ता को हरित ऊर्जा खुली पहुंच (ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस) की अनुमति है।
- एक्सचेंजों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा विद्युत की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) की शुरुआत की गई है।
- सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं कि विद्युत की आपूर्ति साख पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट – एलसी) या अग्रिम भुगतान के माध्यम से की जाएगी ताकि वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।

उपरोक्त के साथ, पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अन्य के साथ-साथ विशेष रूप से निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- वर्ष 2030 तक पवन अक्षय उपभोग बाध्यता (आरसीओ) के लिए ट्रैजेक्टरी की घोषणा
- पवन विद्युत जनरेटरों के विनिर्माण के लिए कुछ उपकरणों पर रियायती सीमा शुल्क को माफ करना।
- दिनांक 31 मार्च, 2017 को या उससे पहले चालू हुई पवन परियोजनाओं को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) प्रदान किया जा रहा है।
- "पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय पुनः शक्तिकरण और जीवन विस्तार नीति, 2023" जारी की गई है।
- "अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए रणनीति" जारी की गई है, जिसमें वर्ष 2030 तक 37 गीगावाट की बोली ट्रैजेक्ट्री और परियोजना विकास के लिए विभिन्न व्यापार मॉडल दर्शाए गए हैं।
- अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए अपतटीय क्षेत्रों के पट्टे (लीज) की मंजूरी को विनियमित करने के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा पट्टा नियम, 2023 को विदेश मंत्रालय की दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया है।
- राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, चेन्नई के माध्यम से पवन संसाधन मूल्यांकन और संभावित स्थलों को चिह्नित करने सहित तकनीकी सहायता।
- अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना।

*****